



फर्द अहकाम

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

हस्तीराम बनाम राधाराम
 11/वर्ष 95/2024 : 1/20

क्र आज्ञा गर्भवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
1/24	<p>पत्रावली प्रारंभ बजा धरती पेस होने स्वीकार होने पर तालव की गड़ी प्रवक्त 0323 CPC स्वीकार किया जा चुका है नत! मूल पत्रावली अस्मादि विध्यालय को पुनः सुनवर पर लिखे जाने के बावजूद मिले जाते हैं इस न्यायालय द्वारा जारी स्वयं गत आदेश दिनांक 20/11/2023 को माजानी आदेशों तक प्रभावही रहता जाता है। पत्रावली को रजिस्टर है वास्तु अस्मिन् का जैबदी दिनांक 24/5/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p> <p>पत्रावली पेश की। विभागी साहब 24/5/24 अन्य राज्य को पेश है। अतः पत्रावली पूर्णतया दिनांक 12/6/24 को पेश हों।</p> <p>12/6/24 पत्रावली पेश हुई। डाकी व उनके अधिकारिता उपलब्ध नहीं। वक्त अदालत डाकी व उनके अधिकारिता को धार-धार मावाज लंगवाई गई। उनकी ओर से कोर्ट को उपलब्ध नहीं होने के, डाकी का प्रस्ता पत्र अदालत धरती अस्मादि में स्वारीज किया जाता है। पत्रावली फिलाल शुमार होकर, दर्ज नम्बर ले कम हो, साड वक्रीक दाखिल दफ्तार है।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>	